[संलग्न पर्ची: ...त ताजी / जो ... / ...तार्म / ...ो हुए]

22-1-16 पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उप०। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट
अप्राप्त, पेशीकार सरकार ने जवाब पेश किया। पत्रावली वास्ते
मौका रिपोर्ट हेतु दि० 22-3-16 को पेश हो। [हस्ताक्षर]

22-3-16 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक को पेश हो। 130/12
12.4.16

12-4-16 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थिया उपस्थित। तहसीलदार
माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली
की गयी। कारण पर्चा मौका रिपोर्ट पर बहस हेतु पत्रावली
दिनांक 10-5-16 को पेश हो। [हस्ताक्षर]

17-5-16 पत्रावली बमुकाम लोक अदालत कैम्प कोर्ट पीथास मे
पेश हुई, मामले मे वादी/प्रतिवादी उपस्थित उभयपक्ष
की बहस सुनी गई, प्रकरण मे प्रार्थीया श्रीमती लाडी
देवी पत्नी भंवरलाल विश्नोई निवासी पोसल रोड
भीलवाड़ा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 LR Act
पेश कर अनुतोष चाहा है कि उसके स्वामित्व की
ग्राम पीथास मे स्थित आराजी नं. 2976/1608 रकबा
3 बीघा की पूर्व मे जारी आदेश दिनांक 16-2-2010
के अनुसरण मे राजस्व नक्शे मे 3 बीघा के बराबर
सही तरमीम की जावे।
प्रकरण दर्ज किया जाकर प्रतिवादी का जवाब ऐव मौका
रिर्पोट प्राप्त की गई। जिसमे अवगत हुआ कि राजस्व
नक्शे मे की गई तरमीम का रकबा बराबर है, प्रार्थिया
ने दौराने बहस अवगत कराया कि उनकी खातेदारी आराजी
के बीच मे सड़क निकल जाने से उसका रकबा राजस्व नक्शे
मे कम तरमीम है साथ ही पूर्व मे उपखण्ड न्यायालय निर्णय
दिनांक 16-2-10 के अनुसार राजस्व नक्शे मे सही तरमीम
नही हुई है। अतः जमाबंदी मे दर्ज रकबे अनुसार सही
तरमीम की जावे।
मेरे द्वारा प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र, तहसीलदार माण्डल
की मौका रिर्पोट, इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक
16-2-10 व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया।
प्रार्थिया के नाम दर्ज आ. नं. 2976/1608 रकबा के पूरे
रकबे 3 बीघा की तरमीम राजस्व नक्शे मे कि जाना
न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर

[हस्ताक्षर]
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

कि ग्राम पीथास- पटवार हल्का पीथास मे स्थित प्रार्थिया की खातेदारी आराजी नं. 2976/1608 के बीच मे निकली सड़क की चौड़ाई के बराबर रकबा सड़क मे छोड़ते हुए, सड़क के दोनो तरफ कब्जानुसार 3 बीघा रकबे के बराबर तरमीम दुरुस्त की जावे। प्रार्थिया की आराजी 2 भागों मे विभाजित होती है। अतः राजस्व नक्शे मे मूल नंबर यथावत रखते हुए बढ़ते नंबर अंकित कर पृथक-पृथक नंबर अंकित किये जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी,